

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1) वी के अन्तर्गत सूचनाओं को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में ।

### बिन्दु संख्या: 1- संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के अधीन पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय कार्य करता है । पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस उपाधीक्षक, सहायक अभियोजन अधिकारी, कमाण्डेंट होमगार्ड, उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती, गोपनीय सहायक लिपिक, सहायक लिपिक, सहायक लेखा लिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड “ए” एवं आरक्षी सीधी भर्ती का आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाता है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश कैडर में आने वाले नवनियुक्त आई0पी0एस0 अधिकारियों का राज्य की पुलिस कार्य प्रणाली से सम्बन्धित प्रशिक्षण कराया जाता है ।

परम्परागत पुलिसिंग को महत्व देने के साथ पुलिस कर्मियों के नालेज, साफ्ट स्किल एवं एटीट्यूड के सम्बन्ध में प्रशिक्षण में विशेष ध्यान दिया जाता है ।

उक्त के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण निदेशालय में नियुक्त अन्य उच्चाधिकारियों के पर्यवेक्षण में सेवारत पुलिस जनों में आरक्षी से मुख्य आरक्षी, मुख्य आरक्षी से उप निरीक्षक, उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति कोर्स के साथ समय-समय पर समसामयिक आवश्यकताओं के अनुसार इन्हें विशिष्ट कोर्स एवं नवीनीकरण कोर्स भी कराया जाता है ।

प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रदेश पुलिस में निम्नलिखित पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं ।

क्रमांक	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	प्रशिक्षण क्षमता
1	डा० भीमराव अम्बेडकर उ०प्र० पुलिस अकादमी मुरादाबाद	670
2	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद	850
3	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर	800
4	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर	600
5	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ	800
6	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मुरादाबाद	700
7	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर	300
8	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव	800
9	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मीरजापुर	300
10	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सुलतानपुर	600
11	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय जालौन	600

**पुलिस प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० में नियुक्त संस्था प्रमुख का ईमेल आईडी एवं सीयूजी न०**

क्रमांक	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	संस्था प्रमुख	ईमेल आईडी	सीयूजी न०
1	डॉ भीमराव अम्बेडकर उ०प्र० पुलिस अकादमी मुरादाबाद	अपर पुलिस महानिदेशक	<u>polacademy@up.nic.in</u>	9454400114
2	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद	अपर पुलिस महानिदेशक	<u>ptcmdd@nic.in</u> <u>ptcmdd@gmail.com</u>	9454400126
3	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मुरादाबाद	पुलिस उपमहानिरीक्षक	<u>igptsmd@ gmail.com</u> <u>adgptsmo-up@nic.in</u>	9454400321
4	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ	अपर पुलिस महानिदेशक	<u>ptsme-up@nic.in</u>	9454400186
5	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर	पुलिस अधीक्षक	<u>ptsgr-up@nic.in</u>	9454400435
6	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर	अपर पुलिस महानिदेशक	<u>ptcstp@nic.in</u>	9454400188
7	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर	अपर पुलिस महानिदेशक	<u>adgstp@gmail.com</u> <u>aptc.stp.si-up@gov.in</u>	9454400198
8	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव	अपर पुलिस महानिदेशक	<u>digptcunnao@gmail.com</u> <u>ptcun-up@nic.in</u>	9454400169
9	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय भीरजापुर	पुलिस उपमहानिरीक्षक	<u>rccchunar@gmail.com</u> <u>spcnr.apts.mi-up@gov.in</u>	9454400237
10	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय जालौन	अपर पुलिस महानिदेशक	<u>ptsjalaun@gmail.com</u> <u>ptsmangrol.jl@up.gov.in</u>	9454400585
11	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सुलतानपुर	अपर पुलिस महानिदेशक	<u>ptsstr.su-up@up.gov.in</u> <u>ptsstr1@gmail.com</u>	9454400584

उक्त के अतिरिक्त शासन स्तर से 31 स्थायी आरटीसी (13 जनपदीय एवं 18 पीएसी आरटीसी ) स्थापित है, जिनमे से प्रत्येक की प्रशिक्षण क्षमता 200 है।

अस्थायी जनपदीय आरटीसी जनपदों के पर्यवेक्षण में कार्य करती है। इन आरटीसी में आरक्षी स्तर के पुलिस कर्मियों का आधारभूत प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार कराया जाता है।

प्रदेश पुलिस की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने एवं समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं नई चुनौतियों से निपटने के दृष्टिगत प्रदेश के पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण

प्रदान किया जाता है। आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थानों में निम्नांकित कोर्स चलाये जाते हैं:-

- 1— साइबर काइम/सीसीटीएनएस
- 2— नये अधिनियमों की जानकारी
- 3— लैंगिक संवेदीकरण
- 4— मानवाधिकार संरक्षण हेतु निर्देशों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण
- 5— आधुनिक उपकरणों की जानकारी
- 6— इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस
- 7— मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित नवीनतम निर्णयों की जानकारी
- 8— दिव्यांगों /वरिष्ठ नागरिकों/महिलाओं /पीड़ित व्यक्तियों के साथ व्यवहार

वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से आन लाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है एवं आन लाइन प्रशिक्षण से सम्बन्धित पीडीएफ, पीपीटी व वीडियो लिंक भी प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के पर्यवेक्षण में पाठ्यक्रम समिति का भी गठन किया गया है जिनके द्वारा विश्लेषण कर आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाता है। आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन कर यह प्रयास किया जाता है कि सभी स्तर के पुलिस जनों में जनसेवक होने का कर्तव्यबोध एवं संवेदनशीलता बढ़ायी जाये ताकि वह सच्चे मन से जनता की सेवा कर सके तथा निर्भीक होकर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही कर सके।

प्रशिक्षण निदेशालय के अन्तर्गत 11 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित आधारभूत, पदोन्नति एवं सेवाकालीन कोर्स सम्पादित कराये जाते हैं:-

### आधारभूत कोर्स

क्रमांक	कोर्स का नाम	प्रशिक्षण संस्थान	अवधि
1	पुलिस उपाधीक्षक सीधी भर्ती	उ०प्र० पुलिस अकादमी मुरादाबाद	12 माह
2	कमाण्डेंट होमगार्ड	उ०प्र० पुलिस अकादमी मुरादाबाद	09 माह
3	सहायक अभियोजन अधिकारी	उ०प्र० पुलिस अकादमी मुरादाबाद	03 माह
4	उप निरीक्षक सीधी भर्ती	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	12 माह
5	प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	12 माह
6	गोपनीय सहायक लिपिक	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	06 माह

7	सहायक लिपिक	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	06 माह
8	सहायक लेखा लिपिक	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	06 माह
9	मु0आ0 कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड 'ए'	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	06 माह
10	आरक्षी नाठपु0 सीधी भर्ती	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	06 माह
11	आरक्षी पीएसी सीधी भर्ती	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	06 माह

### पदोन्नति कोर्स

क्रमांक	कोर्स का नाम	प्रशिक्षण संस्थान	अवधि
1	दलनायक(निरीक्षक)स0पु0	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	06 माह
2	एस0आई0ए0पी0 / प्लाटून कमाण्डर	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	03 माह
3	उप निरीक्षक नाठपु0 रैंकर/वरिष्ठता	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	45 दिवस
4	मु0आ0 नाठपु0 आधारभूत	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	60 दिवस
5	मु0आ0 स0पु0 / पीएसी आधारभूत	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	03 माह

### सेवाकालीन कोर्स

क्रमांक	कोर्स का नाम	प्रशिक्षण संस्थान	अवधि
1	दलनायक रिफेसर	एपीटीसी सीतापुर	03 सप्ताह
2	उप निरीक्षक यातायात	एपीटीसी सीतापुर	02 माह
3	मु0आ0 यातायात	एपीटीसी सीतापुर	02 माह
4	आरक्षी यातायात	एपीटीसी सीतापुर	02 माह
5	शैडो	एपीटीसी सीतापुर	03 माह
6	आरक्षी बिगुलर क्वालीफाइंग	एपीटीसी सीतापुर	06 माह
7	पैडागाजी	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	01 माह

8	आई०टी०आई०	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	02 माह
9	पी०टी०आई०	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान	03 माह

इसके अतिरिक्त राज्य पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता की वृद्धि हेतु बी०पी०आर० एण्ड डी० एवं गृह मंत्रालय के अधीन उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी, उमसाव, मेघालय, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, मध्य प्रदेश, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, रोहिणी दिल्ली, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाजियाबाद, एस०वी०पी० एन०पी०ए० हैदराबाद, Central Detective Training Institute, Hyderabad, CBI Academy, Ghaziabad, NCRB New Delhi एवं National Intelligence Academy(NIA) New Delhi तथा एन०एस०जी० प्रशिक्षण केन्द्र मानेसर हरियाणा आदि प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित होने वाले विभिन्न कोर्सों हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित कर प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

### पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा:-

- 1— उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के आधारभूत/नवीनीकरण/पदोन्नति एवं विशिष्ट कोर्सों के संचालन का प्रबंध किया जाता है।
- 2— प्रशिक्षण निदेशालय में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण के आदेशानुसार निर्धारित दायित्वों के अनुसार राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है।
- 3— समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप पुलिसजनों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र/आर०टी०सी० की आवश्यकतानुसार स्थापना की जाती है।
- 4— अधिक संख्या में प्रशिक्षणार्थी की उपलब्धता होने पर प्रदेश के बाहर संचालित केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों को भेजकर प्रशिक्षण सम्पन्न कराना एवं प्रशिक्षकों की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाता है।
- 5— बीपीआर एण्ड डी नई दिल्ली के माध्यम से प्रदेश पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य के बाहर स्थापित सेना, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों में सीटें आवंटित कराकर विशिष्ट प्रशिक्षण कराया जाता है।
- 6— प्रशिक्षण कार्य हेतु शासन, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड से सम्पर्क कर आधारभूत/नवीनीकरण/पदोन्नति एवं विशिष्ट प्रशिक्षण कोर्सों के सम्बन्ध में यथा समय समुचित कार्यवाही की जाती है।
- 7— सभी स्तर के पुलिसजनों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं पठन सामग्री/पुस्तक की व्यवस्था प्रशिक्षण निदेशालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा की जाती है।

बिन्दु संख्या: 2- प्रशिक्षण निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्यः—

### 1. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण

यह पुलिस प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी है। प्रशिक्षण निदेशालय व 11 प्रशिक्षण संस्थान एवं 31 स्थायी आरटीसी (13 जनपदीय एवं 18 पीएसी आरटीसी) का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण इनके द्वारा किया जाता है। इनके निर्देशानुसार प्रशिक्षण निदेशालय का सम्पूर्ण कार्य कार्यान्वित होता है। सम्पूर्ण प्रकरणों पर उनका निर्णय अन्तिम होता है।

### 2. अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण (प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण)

पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण के निर्देशों के अनुरूप इनके द्वारा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय एवं प्रशिक्षण संस्थानों को सौंपे गये कार्यों जिसके अन्तर्गत निरीक्षक नांपु०/ स०पु०/ उ०नि० नांपु०/मुख्य आरक्षी नांपु०/ स०पु०/ पीएसी से सम्बन्धित समस्त पदोन्नति कोर्स, परिवहन शाखा, आदेश एवं निर्देश गार्ड फाइल, आई०टी०आई०, पी०टी०आई० के स्थापन एवं सम्बद्धता, डी०जी०पी० मुख्यालय व शासन में आयोजित होने वाली बैठकों, कलेण्डर आफ कोर्स, चरित्र पंजिका, पेंशन, स्थापना / स्थानान्तरण, आधुनिकीकरण योजना/13वें वित्त आयोग/अन्य केन्द्र सहायता की योजनाएं, प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, कार्मिक एवं सेवा सुधार, प्रशिक्षण संस्थानों की भूमि एवं भवन, प्रशिक्षण निदेशालय के भवन / स्टोर, वर्चुअल क्लास रूम के माध्यम से आयोजित होने वाले आनलाइन कोर्सों, जेम पोर्टल, नामिनल रोल/नियतन, टेलीफोन/सीयूजी एवं सचिवालय पास, वीड आउट, अराजपत्रित अधिकारियों / कर्मचारियों के अवकाश/चिकित्सा प्रतिपूर्ति व पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण द्वारा निर्धारित/ आवंटित अन्य कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है।

### 3. अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण (मुख्यालय)

पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण के निर्देशों के अनुरूप इनके द्वारा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय एवं प्रशिक्षण संस्थानों को सौंपे गये कार्यों जिसके अन्तर्गत राजपत्रित/ अराजपत्रित अधिकारियों / कर्म० सेवाकालीन प्रशिक्षण/ अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति, मा० सर्वोच्च न्यायालय/ मा० उच्च न्यायालय/ ट्रीब्यूनल एवं सभी न्यायालयों में योजित रिट याचिकायें, विभिन्न मेडल, स्मृति चिन्ह व पुरस्कार आदि, राजपत्रित/ अराजपत्रित अधिकारियों से सम्बन्धित जॉच व तदविषयक सूचनाये, प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रम, लोक सभा/ विधान सभा/ विधान परिषद बैठकों एवं प्रश्नों के प्रति उत्तर, परफारमेंस आडिट, अधिकारियों के प्रशिक्षण भत्ते, अन्य भत्ता एवं अन्य विशिष्ट सुविधायें, समस्त आयोग (मानवाधिकार आयोग/अल्पसंख्यक आयोग/महिला आयोग/अनु०जाति/जनजाति आयोग/पिछड़ा वर्ग आयोग / सूचना का अधिकार अधिनियम-2005) आदि, अपील/रिवीजन सम्बन्धित समस्त कार्य, आम्स एम्यूनेशन, पुलिस स्मृति दिवस / खेल कूद / वाद-विवाद प्रतियोगिता / डायल 112 एवं खेल कूद कलेण्डर, आई०जी०आर०एस०, बैटरी, टायर/कम्प्यूटर एवं अन्य राजकीय सम्पत्ति के निष्प्रयोजन/ निस्तारण व पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण द्वारा निर्धारित/ आवंटित अन्य कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है।

#### **4. पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण**

प्रशिक्षण निदेशालय के समस्त कार्यालय एवं अन्य कार्यों का अनुश्रवण इनके द्वारा किया जाता है।

**“पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय में कार्य के सुचारू संचालन हेतु तीन अनुभाग हैं”**

#### **अनुभाग संख्या: 1**

इस अनुभाग में राजपत्रित/ अराजपत्रित अधिकारियों / कर्मी सेवाकालीन प्रशिक्षण/ अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति, मा० सर्वोच्च न्यायालय/ मा० उच्च न्यायालय/ ट्रीब्यूनल एवं सभी न्यायालयों में योजित रिट याचिकायें, विभिन्न मेडल, स्मृति चिन्ह व पुरस्कार आदि, राजपत्रित/ अराजपत्रित अधिकारियों से सम्बन्धित जॉच व तदविषयक सूचनाये, प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रम, लोक सभा/ विधान सभा/ विधान परिषद बैठकों एवं प्रश्नों के प्रति उत्तर, परफारमेंस आडिट, अधिकारियों के प्रशिक्षण भत्ते, अन्य भत्ता एवं अन्य विशिष्ट सुविधायें, समस्त आयोग (मानवाधिकार आयोग/अल्पसंख्यक आयोग/महिला आयोग/अनु०जाति/जनजाति आयोग/पिछ़ड़ा वर्ग आयोग / सूचना का अधिकार अधिनियम-2005) आदि, अपील/रिवीजन सम्बन्धित समस्त कार्य, आम्स॑ एम्यूनेशन, पुलिस स्मृति दिवस / खेल कूद / वाद-विवाद प्रतियोगिता / डायल 112 एवं खेल कूद कलेण्डर, आई०जी०आर०एस०, बैटरी, टायर/कम्प्यूटर एवं अन्य राजकीय सम्पत्ति के निष्प्रयोजन/ निस्तारण, नामिनल रोल/नियतन, संस्थान में नियुक्त कर्मचारियों के समस्त पदों के स्थानान्तरण, पत्रावलियों को वीड आउट, डिस्पैच के साथ-साथ पत्र व्यवहार शाखा के फाइल क्लर्क, समस्त अराजपत्रित अधिकारियों / कर्मचारियों के अवकाश/चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

#### **अनुभाग संख्या:2**

इस अनुभाग में निरीक्षक ना०पु०/ स०पु०/ उ०नि० ना०पु०/मुख्य आरक्षी ना०पु०/ स०पु०/ पीएसी से सम्बन्धित समस्त पदोन्नति कोर्स, परिवहन शाखा, आदेश एवं निर्देश गार्ड फाइल, आई०टी०आई०, पी०टी०आई० के स्थापन एवं सम्बद्धता, डी०जी०पी० मुख्यालय व शासन में आयोजित होने वाली बैठकों, कलेण्डर आफ कोर्स, चरित्र पंजिका, पेंशन, स्थापना / स्थानान्तरण, आधुनिकीकरण योजना/13वें वित्त आयोग/अन्य केन्द्र सहायता की योजनाएं, प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, कार्मिक एवं सेवा सुधार, प्रशिक्षण संस्थानों की भूमि एवं भवन, प्रशिक्षण निदेशालय के भवन / स्टोर, वर्चुअल क्लास रूम के माध्यम से आयोजित होने वाले आनलाइन कोर्सों, जेम पोर्टल आदि सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

### अनुभाग संख्या: ३

इस अनुभाग में लेखा सम्बन्धी कार्य, जिसमें प्रशिक्षण निदेशालय में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/भत्ते प्रशिक्षण संस्थान/आरटीसी को बजट का आवंटन, निदेशालय में सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन, जीपीएफ, ग्रेचुटी, सम्प्रेक्षा सम्बन्धी कार्यों आदि का सम्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय स्तर पर परिवहन शाखा से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

प्रशिक्षण निदेशालय उ०प्र० लखनऊ के प्रशिक्षण के लिए उ०प्र० शासन द्वारा प्रावधानित बजट एवं उसके सापेक्ष विभिन्न संस्थानों /इकाईयों को आवंटित अनुदान एवं व्यय का विवरण Koshvani . up . nic . in के अनुदान संख्या—२६ गृह (विभाग) पुलिसके अधीन लेखाशीर्षक २०५५ —पुलिस आयोजनेत्तर ००३—शिक्षा और प्रशिक्षण ०४ —शिक्षा एवं प्रशिक्षण “मुख्य” (२०५५०००३०४००—शिक्षा और प्रशिक्षण मुख्य) के अन्तर्गत कुल आवंटित धन को प्रशिक्षण इकाईयों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण कर व्यय किया जाता है।

### बिन्दु संख्या: ३- जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां:-

जनसूचना अधिकारी	नाम	पदनाम	मेबाइल नम्बर
अपीलीय अधिकारी	श्री महेन्द्र यादव	पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण	9454400242
जनसूचना अधिकारी	डॉ० बी०पी० अशोक	अपर पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण	9454401929
सहायक जनसूचना अधिकारी	सैयद सरदार इबने हसन रिजवी	पुलिस उपाधीक्षक (गो०)	9454400455